संख्या-36/2015/1109/14-4-2015-526/2013 टीसी

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख वन संरक्षक,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- प्रमुख वन संरक्षक,
वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक, 08 सितम्बर, 2015

विषय- जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क विकास योजनान्तर्गत "विजिटर फैसिलिटेशन सेन्टर" (द्वितीय फेज) के निर्माण से संबंधित प्रायोजना की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर व्यय वित्त समिति, सचिवालय के अर्धशासकीय पत्र संख्या-116/प्रा0र0मू0प्र0/15 दिनांक 04 अगस्त, 2015 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इटावा जनपद मुख्यालय के निकट फिशर वन में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र एवं बब्बर शेर सफारी की स्थापना 350 हे0 क्षेत्रफल में की गयी है। तदक्रम में उक्त लायन सफारी पार्क में पर्यटकों हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित किये जाने के उददेश्य से इस परियोजना के द्वितीय फेज के अन्तर्गत विजिटर फैसिलिटेशन सेन्टर व अन्य विकास कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यों हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इटावा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आगणन धनराशि रू0 14708.82 लाख पर व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 31.07.2015 में विचार किया गया। समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संशोधित आगणन लागत रू0 11869.78 लाख अनुमोदित किया गया है। व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि रू0 11869.78 लाख के अनुरूप प्राक्कलन को संशोधित करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ई-8-157/दस-213-1074/2012 दिनांक 12 फरावरी, 2013 द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संपादित किये जाने वाले गैर मानकीकृत शासकीय कार्यों की लागत सीमा रू0 10.00 करोड़ निर्धारित की गयी है, जबकि प्रश्नगत परियोजना के कार्य रू0 10.00 करोड़ निर्धारित की गयी है, जबकि प्रश्नगत परियोजना के कार्य रू0 10.00 करोड से अधिक के हैं, अतएव उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2013 में इस सीमा तक शिथिलता प्रदान करते हुए परियोजना के कार्यों को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संपादित किये जाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क विकास योजनान्तर्गत प्रथम चरण में विजिटर फैसिलिटेशन सेन्टर के जिन कार्यों की ड्राइंग एवं डिजाइन की कुल लागत रू0 235.89 लाख है को द्वितीय फेज की विजिटर फैसिलिटेशन सेन्टर की योजना में उक्त ड्राइंग एवं डिजाइन में अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टियों के अनुरूप परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप प्रस्तावित कार्यों की लागत रू0 7111.00 लाख प्रस्तावित है। उक्त कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन और तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त कार्य सम्पादित कराये जॉय। परियोजना के प्रथम चरण में पूर्व अनुमोदित कार्यों की लागत रू0 235.89 लाख पर कोई व्यय न किया जाय।

(3) परियोजना से संबंधित कार्यों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाय तथा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(5) बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र एवं लायन सफारी पार्क को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाये जाने के दृष्टिगत प्रायोजना के द्वितीय फेज विजिटर फैसिलिटेशन सेन्टर के अन्तर्गत थीमिंग कार्यों में उच्च स्तर की विशिष्टियों को सम्मिलित किया गया है, ताकि सफारी पार्क को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप प्रदान किया जा सके। प्रायोजना में जंगल थीम, साउण्ड रीइन्फोर्समेन्ट सिस्टम, बैक ग्राउण्ड म्यूजिक, आडियो सिस्टम, डिजिटल साइनेज एवं लार्ज फार्मेट डिस्प्ले, स्मार्ट मोबाइल डिवाइस हेतु वाई फाई कैम्पस, मल्टी मीडिया सिस्टम, हैगिंग ब्रिज, वाहय विद्युतीकरण एवं डी0जी0 सेट, थीमिंग कार्य (फ्रन्ट बाउण्ड्रीवाल, साइड बाउण्ड्रीवाल, इन्ट्रेन्स फीचर, बिग लायन, बिग बेबी लायन, एलीफैन्ट, बेबी एलीफैन्ट, माउन्ड, वाटर फीचर्स, फिनिशिंग) 4- डी थियेटर की लागत तदर्थ आधार पर प्रस्तावित की गयी है। अतः उक्त कार्य मदों में प्रयुक्त की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टियों, उच्च विशिष्टियों एवं थीमिंग कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य का उल्लेख करते हुए तथ्यात्मक विवरण के साथ प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन के अनुमोदन से प्रमुख वन संरखक (वन्य जीव), उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली एक पॉच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन प्राप्त कर कार्यों का सम्पादन कराया जाय। विशेषज्ञ समिति के आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

(6) प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियॉ यथा-वाल पेनलिंग, फाल्स सीलिंग, इटेलियन मार्बल, स्टोन फलोरिंग, ग्रेनाइट स्टोन फलोरिंग, कर्ब स्टोन, थीमिंग (इन्ट्रेंस फीचर, बिग लायन, बिग बेबी लायन, एलीफैन्ट,) जियो टेक्सटाइल मेम्बरेन, मैपप्लेन टी0डब्लू0टी0, उच्चकोटि की टाइल्स आदि कार्यमदों की लागत सामान्य से अधिक होने के कारण प्रायोजना में इन कार्य मदों की आवश्यकता एवं औचित्य का उल्लेख करते हुए विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) प्रायोजना में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं थीमिंग के अन्तर्गत फ्रंट एवं साइट बाउण्ड्रीवाल, व इन्ट्रेंस फीचर, फीचर, बिग लायन, बिग बेबी लायन, एलीफैन्ट एवं बेबी एलीफैन्ट की लागत माउण्ड, वाटर फीचर तथा फैसिंग आदि कार्य मदों के विस्तृत लागत विवरण ड्राइंग एवं डिजाइन की आवश्यकता एवं औचित्य को दर्शाते हुए उसकी लागत पर भी विशेषज्ञ समिति का अनुमोदन कराकर उनकी देख-रेख में कार्य संपादित कराया जाय।

(8) प्रायोजना के प्रथम चरण में फैसिलिटी सेन्टर हेतु अनुमोदित कार्यों की लागत रू0 235.89 लाख की धनराशि प्रथम चरण की कुल अनुमोदित लागत रू0 7033.45 लाख में से कम कर दिये जाने के कारण उस पर व्यय न किया जाय।

(9) प्रायोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की विशालता को देखते हुए उनकी गुणवत्ता एवं निर्माण कर्यों की प्रगति का सतत अनुश्रवण विशेषज्ञ समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाय और समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीड बैक से शासन को अवगत कराया जाय तथा वस्तुस्थिति की सूचना व्यय वित्त समिति के उपयोगार्थ प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(10) प्रायोजनान्तर्गत साउण्ड सिस्टम, डिजिटल साइनेज, ए.सी. सिस्टम, वाई फाई नेटवर्क, मल्टीमीडिया सिस्टम, वाह्य विद्वयुतीकरण एवं डी0जी0 सेट के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर निविदा प्राप्त कर इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(11) प्रभाग द्वारा प्रायोजना का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें नये कार्य, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ किये जाने की स्थिति में व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बगैर नहीं किया जायेगा। अनुमोदित कार्यों की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती हैं, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा बाद में पुनरीक्षित परियोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) प्रश्नगत परियोजना के संबंध में व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित मानक के अनुसार ही कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1109(1)/14-4-2015-526/2013टीसी तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, द्वितीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज लखनऊ।
3- आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, इटावा।
5- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर।
6- वन संरक्षक/ निदेशक, इटावा सफारी पार्क समिति, ग्वालियर रोड इटावा।
7- उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट आगरा।
8- प्रभागीय वनाधिकारी, इटावा।
9- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/8
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanasesh.up.nic.in